

न्यूज़ दुड़े

प्रधान मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखण्ड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

- इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) का निर्माण और उन्नयन शामिल है। प्रधान मंत्री ने गंगा नदी के पुनरुद्धार में सहायक चार प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया है:
 - अपशिष्ट जल को नदी में बहने से रोकने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का नेटवर्क निर्मित किया जाएगा।
 - अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का निर्माण आगामी 10–15 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
 - नदी तटवर्ती 100 बड़े कस्बों/शहरों तथा 5000 गांवों को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free) बनाया जाएगा।
 - गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास (all-out effort) किए जाएंगे।
- नमामि गंगे, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रमाणी उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देशों को पूर्ण करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है।
 - मिशन के मुख्य स्तर हैं: रिवर फ्रंट का विकास, जलीय जीवन और जैव विविधता का संरक्षण, अपशिष्ट उपचार क्षमता निर्माण, वनीकरण (Afforestation), औद्योगिक बहिःसाप्त निगरानी (Industrial Effluent Monitoring), गंगा ग्राम का विकास आदि।
 - इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा इसकी राज्य समकक्ष योजनाओं यथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वयित किया जा रहा है।
- कार्यान्वयन में कुछ समस्याएँ: पुराने अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के पुनर्संचालन में निराशाजनक प्रदर्शन, गंगा में निम्न जल प्रवाह रुक्त, निम्नस्तरीय गाद प्रबंधन, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव आदि।

टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से 'ई' एवं 'वी' स्पेक्ट्रम बैंड (E&V spectrum bands) को लाइसेंस रहित (de-licensing) करने की बजाय उनकी नीलामी करने का आग्रह किया है

- दूरसंचार विभाग (DoT) स्पेक्ट्रम का संरक्षक और प्रबंधक है तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन, लाइसेंसिंग एवं मूल्य निर्धारण संबंधी रूपरेखा पर निर्णय लेता है।
 - वायरलेस सेवाओं को निर्दिष्ट बैंडों पर प्रदान किया जा सकता है, जो लाइसेंस के साथ या लाइसेंस रहित (लाइसेंस से छूट प्राप्त) हो सकते हैं।
 - बिना लाइसेंस वाले बैंड में सेवाएं (उदाहरण के लिए वाई-फाई) अल्पव्ययी होती हैं, क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- E एवं V बैंड को लाइसेंस से मुक्त करने से लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे स्पेक्ट्रम अधिग्रहण, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और राइट ऑफ वे (right of way) जैसी विभिन्न लागतों का शुल्क वहाँ कर रहे हैं।
- E बैंड (जो 71–76 गीगाहर्ड्ज (GHz) और 81–86 GHz के बीच में तथा V बैंड, जो 57–64 GHz के मध्य में होता है) में वायु तरंगें (Airwaves) लगभग 1,000 मेगाबिट (mb) प्रति सेकंड की गति के साथ डेटा संचारित कर सकती हैं।
 - E एवं V बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए उच्च क्षमतावान एक्सेस स्पेक्ट्रम तथा साथ ही साथ बैकहॉल लिंक स्पेक्ट्रम (backhaul link spectrum) दोनों के लिए किया जा सकता है।
 - ❖ बैकहॉल एक नेटवर्क है, जो सेल स्थलों (cells sites) को केंद्रीय एक्सरेंज से संबद्ध करता है। यह 4G/5G सेवाओं द्वारा प्रस्तावित उच्च प्रवाह क्षमता (high throughput) (वह वास्तविक दर, जिससे सूचना प्रसारित की जाती है) के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 {Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020} जारी किए

- इन नियमों को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] के तहत जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करके तथा उनके लिए कल्याणकारी प्रावधानों का सृजन करके उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
 - इससे पूर्व, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (National Council for Transgender Persons) का गठन किया था।

○ प्रमुख विशेषताएँ:

- जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate: DM) आवेदक द्वारा दायर एक शपथ पत्र के आधार पर किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक जांच के बिना किसी व्यक्ति के लिंग को प्रमाणित करेगा।
- उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा केंद्र द्वारा सृजित की गई योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल करने हेतु सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याणकारी उपायों आदि की समीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकारों को उनके दायरे अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी या निजी संगठन अथवा निजी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के निषेध के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।
- उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील अवसंरचना जैसे कि अस्पतालों में पृथक वार्ड और शौचालयों का निर्माण कार्य नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों को उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जाँच करने के लिए उभयलिंगी संरक्षण प्रकोष्ठ (Transgender Protection Cell) का गठन करना होगा।



सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना एक पूर्ण उत्तरदायी एवं जवाबदेह स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देगी

○ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के (Partnership for Maternal, Newborn and Child Health: PMNCH) जलपान उत्तरदायित्व सहभागिता कार्यक्रम में सुमन (SUMAN) योजना के महत्व को रेखांकित किया।

- PMNCH महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन है, जो 192 देशों के 1,000 से अधिक भागीदार संगठनों को एक मंच प्रदान करता है।
- यह भागीदारों को रणनीतियों को साझा करने, उद्देश्यों और संसाधनों को समेकित करने तथा विभिन्न हस्तक्षेपों पर सहमत होने में सहम बनाता है। PMNCH बोर्ड के उपाध्यक्ष (Vice Chairs) भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) हैं।

○ सुमन (SUMAN) के बारे में

- यह मातृ एवं नवजातों की निवार्य मृत्युओं को शून्य करने के लिए एक पहल (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूति के 6 माह पश्चात तक माताओं और सभी रुग्ण नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं:
 - ❖ गर्भावस्था की जटिलताओं के मामले में शून्य व्यय प्रसव (Zero expense delivery) और सी-सेक्सोलैन (Sisjosexline) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
 - ❖ गर्भवती महिलाओं को घर से लेकर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक तथा केंद्र से ही घर तक भी निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करावाई जाएगी।
 - ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero-tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।
 - ❖ सेवाओं में कम से कम चार प्रसवपूर्व (antenatal) चिकित्सा जाँचें शामिल हैं तथा साथ ही प्रथम तिमाही (trimester) के समय जांच, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (supplementation), टेटनस डिप्पीरिया इंजेक्शन आदि दिया जाना भी सम्मिलित है।

अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) ने भारत में परिचालन बंद किया

- हाल ही में सरकार ने धन शोधन (money laundering) के कथित आरोपों और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA) [Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)] के संदिग्ध उल्लंघनों को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
- इसके परिणामस्वरूप, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को भारत में अपने परिचालन को निलंबित करना होगा।
- भारत में, FCRA के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) एवं अन्य संगठनों को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की जाती है।
- FCRA को स्वैच्छिक संगठनों में विदेशी धन के प्रवाह को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था, ताकि इस प्रकार के धन के किसी भी संभावित तरीके से देश विदेशी गतिविधियों में प्रयोग होने से रोका जा सके।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके तीन सहायक संगठनों को FCRA के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, जबकि विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज समूहों, संघों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है।
- कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act: FEMA) के तहत पंजीकृत हैं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित हैं और विभिन्न संघों को विदेशी धन वितरित करना जारी रखे हुए हैं।
- अतीत में ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए गृह मंत्रालय (MHA) को शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।
- हाल ही में सरकार ने विदेशी अभिदाय (अंशदान) की प्राप्ति और उसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए FCRA, 2010 में संशोधन करने हेतु विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill (FCRA), 2020] भी प्रस्तुत किया है।

अन्य सुर्खियाँ

<p>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा वर्ष 2019 की :भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई [Crime in India 2019 Report by National Crime Record Bureau (NCRB)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> रिपोर्ट में चिन्हांकित किया गया है कि वर्ष 2018–19 से: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है। <ul style="list-style-type: none"> महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और असम में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्चतम दर (प्रति लाख जनसंख्या पर) दर्ज की गई है। अधिकांश मामले पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता के हैं। भारत में वर्ष 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध 7.3% बढ़ गए हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 4.5% की बढ़ोतारी हुई है।
<p>भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अधिग्रहण की सीमाओं और ओवरड्रॉफ्ट नियमों का छह माह के लिए विस्तार किया (RBI extends WMA limits and Overdraft regulations for States/UTs for six months)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ये दोनों छूट राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अल्पकालिक चल निधि असंतुलन के निवारण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई हैं। अर्थोपाय अधिग्रहण (Ways and Means Advances: WMA) योजना वर्ष 1997 में सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में असंतुलन (बिमेल) को समाप्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी। सरकार आवश्यकता होने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से तत्काल नकद सहायता का लाभ प्राप्त कर सकती है। परन्तु उसे 90 दिनों के भीतर वह राशि लौटानी होगी। ब्याज दर मौजूदा रेपो दर के अनुसार होगी। यदि अर्थोपाय अधिग्रहण 90 दिनों से अधिक हो जाता है, तो इसे ओवरड्रॉफ्ट के रूप में माना जाएगा (ओवरड्रॉफ्ट पर ब्याज दर रेपो दर से 2 प्रतिशत अधिक होती है)।
<p>राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा :समय का उपयोग "सर्वेक्षण" किया गया (Time Use Survey (TUS) by National Sample Survey Office (NSSO))</p>	<ul style="list-style-type: none"> TUS का उद्देश्य वैतनिक तथा अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों, महिलाओं और व्यक्तियों के अन्य समूहों की भागीदारी का मापन करना है। प्रमुख निष्कर्ष: केवल 38.2% आबादी रोजगार और अन्य संबंधित गतिविधियों में भाग लेती है तथा इसमें प्रत्येक दिन औसतन 429 मिनट व्यय करती है। 57.3% पुरुषों की तुलना में केवल 18.4% महिलाएं रोजगार गतिविधियों में भाग लेती हैं। केवल 14% पुरुष प्रतिदिन औसतन 76 मिनट व्यय करके घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल संबंधी सेवाएं देते हैं।
<p>पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zones: ESZ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने छह राज्यों द्वारा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पश्चिमी घाट (Western Ghats: WG) में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को 6,386.65 वर्ग कि.मी. तक कम करने के आग्रह करने पर चिंता व्यक्त की है। <ul style="list-style-type: none"> वे छह राज्य हैं – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) के तहत औद्योगिक प्रदूषण और अविनियमित विकास से संरक्षण प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के रूप में अधिसूचित किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक परिदृश्यों, जैव विविधता, वन्य जीवन, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के लिए विशेष संरक्षण तथा विकासात्मक गतिविधियों का विनियमन और ESZ में सतत विकास सुनिश्चित करना है।
<p>भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किए गए दूसरे राष्ट्रव्यापी सेरो-सर्वेक्षण के निष्कर्ष (Findings of second nationwide sero-survey conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR))</p>	<ul style="list-style-type: none"> एक सेरो-सर्वेक्षण के तहत जिला स्तर पर नवीन कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए व्यक्तियों के समूह के रूप से सीरम का परीक्षण किया जाता है। प्रमुख निष्कर्ष: अगस्त के अंतिम पखवाड़े तक भारत की लगभग 7% वयस्क आबादी के कोरोनावायरस के संपर्क में आने की संभावना थी। शहरी मिलिन बस्तियों में अनुमानित व्यापकता 15.6% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में गैर-मिलिन बस्तियों में यह 8.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.4% थी।
<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (P-MIS) पोर्टल को लॉन्च किया गया (Project Management Information System (P-MIS) portal of National Capital Region Planning Board (NCRPB) launched)</p>	<ul style="list-style-type: none"> इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा परियोजनाओं की प्रगति तथा ऋणों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। P-MIS परियोजनाओं की समीक्षा और प्रबंधन में सरलता लाएगा तथा नागरिकों को फीडबैक देने के लिए जानकारी एवं अवसर प्रदान करेगा। NCRPB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करता है तथा बाजार से बांड के माध्यम से या द्विपक्षीय / बहुपक्षीय एजेंसियों से वहनीय दर पर ऋण लेकर इन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था भी करता है।
<p>डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज-4 (DISC-4) (Defence India StartupChallenge-4: DISC 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> DISC-4 का उद्देश्य रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों (Innovations for Defence Excellence: iDEX) के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना है। <ul style="list-style-type: none"> iDEX पहल को वर्ष 2018 में देश में नवाचारों को प्रोत्साहित और पोषित करने तथा एक प्रभावी रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। DISC-4 के तहत, सशस्त्र बलों की ग्यारह चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप, अन्वेषकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए खुला रखा गया है, ताकि वे इस क्षेत्र के लिए अभिनव विचार प्रदान कर सकें।